

प्रारूप— एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

अधिसूचना

क्रमांक 15764 .../भू-अर्जन/2016/कोरबा, दिनांक 22/12/2016

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्वर्गस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :-

| जिला | तहसील | ग्राम / नगर | क्षेत्रफल | लोक प्रयोजन का विवरण |
|-------|-------|-------------|-------------------|---|
| कोरबा | पाली | राहा | 0.178 हेक्टेयर | राहा — रावा मार्ग पर बनवार (जटाशंकर) नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम, राहा |

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 30/12/2016 को समय 12:00 बजे से स्थान ग्राम पहुँचाना नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

- 1 लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण : राहा — रावा मार्ग पर बनवार (जटाशंकर) नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण
 - 2 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : 04 परिवार
 - 3 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या : निरंक
 - 4 प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की : निरंक अनुमानित संख्या
 - 5 प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की : निरंक अनुमानित संख्या
 - 6 क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? : हाँ
 - 7 क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया : हाँ गया है ?
 - 8 परियोजना की कुल लागत : रुपये 192.05 लाख
 - 9 परियोजना से होने वाल लाभ : परियोजना से यह मार्ग बारहमासी हो जावेगा, जिससे आस-पास के 14 ग्रामों के लगभग 10677 ग्रामवासी लाभांवित होंगे।
 - 10 प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा : प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं। इस हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध है।
 - 11 परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक : निरंक
- उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो, तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।



(पौ. द्वयानंद)

कलेक्टर
जिला कोरबा

एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृष्ठा०क०/15465/भू-अर्जन/2016
प्रतिलिपि:-

कोरबा दिनांक 22/12/2016

- 01— सचिव,छोगोशासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02— अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
- 03— आयुक्त,नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 04— नियंत्रक,शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगाँव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग-1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
- 05— कार्यपालन अभियंता लो०नि०वि०से० निर्माण उप संभाग कोरबा की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटघोरा का उपलब्ध करावे।
- 06— प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला कोरबा को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छोगोशासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 07— तहसीलदार पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय,अनुविभाग कार्यालय, एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करे।
- 08— सचिव,ग्राम पंचायत राहा तहसील कटघोरा जिला कोरबा को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चर्चा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करे।

(पी०दृश्यानंद)
कलेक्टर

जिला—कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग